भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 4126

जिसका उत्तर 12.12.2019 को दिया जाना है

इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च

4126. श्री श्याम सिंह यादवः

श्री जी॰ सेल्वमः

श्री धनुष एम॰ कुमारः

श्री सोयम बापू रावः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश के विभिन्न भागों में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च (आईडीटीआर) की स्थापना के लिए एक योजना शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान में जहां आईडीटीआर स्थित हैं तथा देश में जहां ऐसे संस्थान प्रस्तावित हैं उन स्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास आईडीटीआर के कार्य-निष्पादन का आकलन करने के लिए कोई तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम रहा है;

(ग) क्या सरकार ने उन स्थानों को चिह्नित किया है जहां आईडीटीआर स्थापित किया जाना है और यदि हां, तो सरकार ने इस प्रयोजनार्थ भूमि प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या इस योजना को लागू करने के लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निधि का दुरुपयोग करते पाए गए राज्यों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क): सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 10वीं पंचवर्षीय योजना से इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च (तत्कालीन ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट) स्थापित करने की योजना कार्यान्वित की है। अब तक कुल 30 आईडीटीआर (तत्कालीन डीटीआई) मंजूर किए गए हैं। इनका राज्यवार विवरण और स्थान अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख): सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पुणे के केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान (सीआईआरटी) को इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च योजना के तहत निष्पादन एजेंसी के रूप में शामिल किया है। मंत्रालय द्वारा आईडीटीआर की स्थापना की प्रगति और इसके प्रदर्शन का मूल्यांकन पुणे के सीआईआरटी के माध्यम से किया जाता है। मंत्रालय द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार और सीआईआरटी, पुणे के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाता है।

(ग): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आईडीटीआर स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस योजना के प्रावधानों के अनुसार आईडीटीआर की स्थापना के लिए भूमि प्राप्त करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

(घ): 14वें वित्तीय चक्र के दौरान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय आईडीटीआर की स्थापना के लिए अधिकतम 18.50 करोड़ रु. के अध्यधीन 100% पूंजी निवेश की व्यवस्था करता है अर्थात सिविल निर्माण, कार्यशाला उपस्कर और वाहन और अनुकारी कार्य।

(ड.): आईडीटीआर योजना के तहत निधि के दुरूपयोग का कोई भी मामला आज तक सूचित नहीं किया गया है।

अनुलग्नक

'इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च' के संबंध में श्री श्याम सिंह यादव, श्री जी. सेल्वम, श्री धनुष एम. कुमार और श्री सोयम बापू राव द्वारा दिनांक 12.12.2019 को पूछे गए लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 4126 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आईडीटीआर (तत्कालीन डीटीआई)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईडीटीआर स्थान
1	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
		दसरी
2	असम	दिसपुर
3	बिहार	औरंगाबाद
4	छत्तीसगढ़	नया रायपुर
5	हरियाणा	रोहतक
		भिवानी
6	हिमाचल प्रदेश	मंडी
		सरकाघाट
7	जम्मू और कश्मीर क्षेत्र	जम्मू
8	झारखंड	जमशेदपुर
9	कर्नाटक	बेल्लारी
10	केरल	ईड्डापल्ल
11	मध्य प्रदेश	इंदौर
12		छिंड़वाड़ा
13	महाराष्ट्र	पुणे
		लातूर
		नागपुर
14	मणिपुर	इंफाल
15	नागालैंड	दीमापुर
16	ओडिशा	जाजपुर
17	राजस्थान	राजसमंद
18	सिक्किम	पाकयोंग
19	तेलंगाना	करीमनगर
20	त्रिपुरा	अगरतला
21	उत्तर प्रदेश	कानपुर
		रायबरेली
22	उत्तराखंड	देहरादून
23	पश्चिम बंगाल	जस्सौरे
24	दिल्ली	सराय काले खां
कुल		30

*ध्यान दे: * तत्कालीन 12 डीटीआई सहित*

*****